कार्यालय जिला पंचायत, चन्दौली।

पत्रांक 130 /जि0प0चं0/2016–17 दिनांक– 28-3-17

कार्यालय ज्ञापः–

नवीन ठेकेदारों का पंजीयन/नवीनीकरण वर्ष–2017–18

जिला पंचायत के गत वित्तीय वर्ष में समस्त पंजीकृत ठेकेदारों फर्मो एवं सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, चन्दौली द्वारा सम्पादित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण आदि कार्यों के कराये जाने हेतु उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 एवं निर्गत शासनादेशों में दिये गये प्राविधानुसार वर्ष 2017–18 (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) के लिये ठेकेदारी पंजीयन/नवीनीकरण हेतु विज्ञापन प्रकाशन तिथि से दिनांक 21.04.2016 को अपराहन 5.00 बजे तक आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है।

1. चरित्र प्रमाण–पत्र जो गृह जनपद के जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत किया गया हो (निर्धारित रूप पत्र)।
2. जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र (निर्धारित रूप पत्र)।
3. आयकर प्रमाण–पत्र (पैन नम्बर एवं गत तीन वर्षो 2014–15, 2015–16 व 2016–17) का आई.टी.आर. संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. व्यापार कर में पंजीकृत होने का प्रमाण–पत्र (टिन नम्बर, रजिट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)
5. श्रमायुक्त कार्यालय में रजिस्टर्ड होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. अनुभव प्रमाण–पत्र (गत तीन वर्षो में ठेकेदारी का अनुभव प्रमाण–पत्र सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत किया गया हो संलग्न करें)।
7. प्रत्येक आवेदन को स्वघोषणा शपथ पत्र (मु0–100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर जमा करना अनिवार्य होगा, जिसका प्रारूप आवेदन द्वारा कार्यालय जिला पंचायत, चन्दौली से प्राप्त किया जायेगा)।
8. जिला पंचायत के पुरानें ठेकेदारों का नवीनीकरण हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क मु0 10000.00 (दस हजार) रूपये है।
9. नये ठेकेदारों के पंजीयन का शुल्क का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	श्रेणी	सामान्य जमानत	रजिस्ट्रेशन शुल्क	निविदा धनराशि की सीमा	निर्माण कार्य कराने का अनुभव प्रमाण–पत्र
1	A	2,00,000/–	15000.00	कोई सीमा नही	10.00 लाख
2	B	1,00,000/–	15000.00	10 लाख तक	5.00 लाख
3	C	50,000/–	15000.00	5 लाख तक	0.00

10. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ अभियन्ता, जिला पंचायत से प्रमाणित दो पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना होगा।
11. शासनादेश सं0–5596बी0/33–2–93–69जी/93 दिनांक 01 नवम्बर, 1993 जिला पंचायत के पदाधिकारियों/सदस्यों एवं अधिकारियों के निकटस्थ सम्बन्धियों द्वारा परिषद के निर्माण कार्यों/समाग्री आपूर्ति का ठेका तथा विभिन्न प्रकार की नीलामियों में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया गया है। सम्बन्धित का तात्पर्य जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 के नियम 54 में दी गयी परिभाषा एवं स्पष्टीकरण (इस नियम के प्रायोजनों के लिये सम्बन्धित का तात्पर्य पिता,पितामह, श्वसुर, चाचा, या मामा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, भतीजा या भॉजा, सगा चचेरा या ममेरा भाई, पत्नी का भाई या बहनोई, पति का भाई या पति की बहन, पत्नी की बहन पत्नी, पुत्री, पुत्रवधु, भाभी या सगे या चचेरे या ममेरे भाई की पत्नी हो, माता,सास,चाची,या मामी से है,) से सम्बन्धित व्यक्ति का आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। जॉच के दौरान उपरोक्त तथ्यो का छिपाना या गलत पाया जाता है, तो सम्बन्धित के खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यावही की जायेगी।
12. ठेकेदारी पंजीयन/नवीनीकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में देखी व पढ़ी जा सकती है।
13. जनपद के बेवसाइट www.chandauli.nic.in पर देखी व पढ़ी जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,चन्दौली।

P.T.O.